जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनाँक 26-05-21

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तो को 12 किलो गांजा नाजायज सहित किया गिरफ्तार

पुलिस उप-महानिरीक्षक/ श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधी/ माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा दिनाँक 26/05/2021 को रात्रि में समय करीब 02.10 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान शालीमार सिटी के पीछे बन्द आफिस के पास लक्ष्मण सिटी से तीन अभियुक्तो (1) नसीम पुत्र चांद मौहम्मद नि0 मौहल्ला तीलघर मदरसे के पास फर्रूखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद (2) आबिद पुत्र हाशिम शेख नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना विजयनगर, गाजियाबाद (3) गुल्लू पुत्र नजबुद्दीन नि0 निकट कुरैशी मस्जिद असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीला मोड गा0बाद को अलग अलग 04 - 04 किलो गांजा नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

((1) नसीम पुत्र चांद मौहम्मद नि0 मौहल्ला तीलघर मदरसे के पास फर्रूखनगर थाना टीला मोड गाजियाबाद

(2) आबिद पुत्र हाशिम शेख नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना विजयनगर, गाजियाबाद

(3) गुल्लू पुत्र नजबुद्दीन नि0 निकट कुरैशी मस्जिद असालतपुर फर्रूखनगर थाना टीला मोड गा0बाद

अभियुक्तो से बरामदगी –

(1) सभी अभि0गण से अलग - अलग 04 - 04 किलो गांजा कुल 12 किलो गांजा नाजायज ,

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1.मु0अ0सं0 258/21 धारा 8/20 NDPS.Act बनाम नसीम थाना टीला मोड गा0बाद

2- मु0अ0सं0 259/21 8/20 NDPS.Act बनाम आबिद थाना टीला मोड गा0बाद

3- मु0अ0सं0 260/21 धारा 8/20 NDPS.Act बनाम गुल्लू थाना टीला मोड गा0बाद

5,00,000,00 (पाँच करोड) रुपये से अधिक की धोखाधडी करने के अभियोग में वाछिंत दो अभियुक्त पति-पत्नी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराध-अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डा0 श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि0 25.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा0बाद व उनकी टीम द्वारा 05 करोड से अधिक की हेराफेरी/धोखाधडी मे के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 643/20 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त 1 -इन्द्रजीत पुत्र महेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम रघुनाथपुर थाना जानी जनपद मेरठ हाल निवासी-KW सृष्टि अपार्टमेन्ट फ्लैट न0-डी-202 राजनगर एक्सटेन्शन थाना नन्दग्राम जनपद-गाजियाबाद 2 महिला अभियुक्ता पत्नी इन्द्रजीत उपरोक्त मुखबिर की सूचना गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तो के विरुद्ध आवेदिका श्रीमती सन्जू पत्नी श्री ओमप्रकाश सिह निवासी फ्लैट न0363 प्रथमतल नीतिखण्ड इन्द्रापुरम जिला गाजियाबाद द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जाल साज व धोखाधडी करके पूर्व में बैक को 03 करोड 52 लाख 63 हजार 282 रुपये मे गिरवी रखा गया प्लाट वादीया को 02 करोड रुपये मे विक्रय कर वादीया के साथ धोखाधडी करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दिनांक 09.12.20 को मु0अ0सं0 643/20 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि पंजीकृत कराया गया था ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

(1) इन्द्रजीत पुत्र महेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम रघुनाथपुर थाना जानी जनपद मेरठ हाल निवासी-KW सृष्टि अपार्टमेन्ट फ्लैट न0-डी-202 राजनगर एक्सटेन्शन थाना नन्दग्राम जनपद-गाजियाबाद

(2) महिला अभियुक्ता पत्नी श्री इन्द्रजीत उपरोक्त

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभि0गण

(1) मु0अ0स0 623/20 धारा 420/467/468/471/120बी/506 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद

(2) मु0अ0स0-2238/19 धारा-420/467/468/471/ भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गिरफ्तार कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर नं0 DL 6S BE 0537 एंव 36ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अवैध बरामद।

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदो के अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 25.05.21 चैकिंग के दौरान काली मन्दिर श्याम पार्क से एक अभियुक्त अरूण उर्फ वोवी नागर पुत्र श्री प्रकाश नागर नि0 म0नं0 345 गली नं0 7 इन्द्रा कालोनी थाना सा0बाद गा0बाद उम्र 25 वर्ष को चोरी की एक मोटर साईकिल व 36 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया गया है,

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु एंव अपनी नशे की पूर्ती करने हेतु वाहन चोरी करता है मेने यह मो0सा0 2 -3 दिन पहले मैन मार्केट क्रास रोड सन्तनगर दिल्ली से चोरी की है तथा मौका लगते ही इसे बेचने वाला था कि पकडा गया

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. अरूण उर्फ वोवी नागर पुत्र श्री प्रकाश नागर नि0 म0नं0 345 गली नं0 7 इन्द्रा कालोनी थाना सा0बाद गा0बाद उम्र 25 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोगो का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 1001/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 1002/2021 धारा 411,414 भदवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 विष्णु कौशिक
2. उ0नि0 रविन्द्र कुमार
3. हे0का0 शाहिद खान

बरामदगी का विवरणः-

1. 36 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अवैध।
2. चोरी की एक मो0सा0 स्पलेण्डर नं0 डीएल 6एसबीई 0537 जोकि दिल्ली के सन्तनगर से चोरी की गयी है।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा मादक प्रदार्थ तस्कर दो अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 110 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अवैध बरामद ।

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदो के अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक 25.05.2021 को चैकिंग के दौरान चौधरी विल्डर्स सीमापुरी रोड की ओर से से दो अभियुक्त 01- समीर पुत्र स्व0 काले नि0 ई- 312 लक्ष्मण गार्डन थाना टोला मोड गाजियाबाद उम्र करीव 24वर्ष व 02- सोनू पुत्र राजू चौहान नि0 80 फुटा रोड राजस्थान मार्बल के पास बनी झुग्गी झोपडी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष को 110 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभियुक्तगणो ने पूछतांछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु नशे के आदी चलते फिरते लोगो को नशीला पाउडर अल्प्राजोलम को बेचते है तथा अपना शोक पूरा करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. समीर पुत्र स्व0 काले नि0 ई- 312 लक्ष्मण गार्डन थाना टीला मोड गाजियाबाद उम्र करीव 24वर्ष ।
2. सोनू पुत्र राजू चौहान नि0 80 फुटा रोड राजस्थान मार्बल के पास बनी झुग्गी झोपडी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

पंजीकृत अभियोगो का विवरणः-

1. मु0अ0सं0 1005/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम समीर।
2. मु0अ0सं0 1006/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम सोनू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 विष्णु कौशिक
2. उ0नि0 पंकज शर्मा
3. हे0का0 विनोद कुमार
4. का0 मनीष वालियान
5. चा0 मुरशान अली

बरामदगी का विवरणः-

1. 110 ग्राम नाजायज अल्प्राजोलम नशीला पाउडर बरामद।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभि0गण को मय चोरी की 06 अदद बैट्री (कार व स्कुटी) के साथ किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक नन्दग्राम नीरज कुमार के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित 02 अभि0गण (1) अंकुश पुत्र प्रमोद कुमार नि0 म0न0 132 विकंलाग कालोनी नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद (2) उमर पुत्र मौ0 इस्माइल नि0 म0न0 बी- 6, 40 फुटा आश्रम रोड नन्दग्राम गाजियाबाद को मय चोरी की 06 बैट्री (05 कार बैट्री व 01 स्कूटी बैट्री) के साथ नन्दग्राम पुलिस द्वारा दि0 26/5/21 को समय 12.30 बजे नन्दीपार्क के सामने नन्दग्राम से गिरफ्तार किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1 अंकुश पुत्र प्रमोद कुमार नि0 म0न0 132 विकंलाग कालोनी नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

2 उमर पुत्र मौ0 इस्माइल नि0 म0न0 बी- 6, 40 फुटा आश्रम रोड नन्दग्राम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1 05 अदद बैट्री कार की कम्पनी

2 01 बैट्री स्कूटी

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

1. मु0अ0सं 476/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

2 मु0अ0सं0 477/2021 धारा 379/411 भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।

<u>थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी के साथ बलात्कार करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार</u>

कल दिनांक 25.05.2021 को वादिया ने अभियुक्त आमिर पुत्र नफीस नि0 ग्राम सैंथली थाना मुरादनगर गा0बाद द्वारा अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करने के सम्बंध में थाना मुरादनगर पुलिस को सूचना दी थी। थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0 432/21 धारा 376 भादवि, 3/4 पोक्सो अधि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया । श्रीमान उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर को टीमे गठित कर तत्काल घटना के अनावरण व आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु कडे निर्देश जारी किये थे। इसी क्रम मे गठित टीमो द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना को कारित करने वाले अभियुक्त आमिर पुत्र नफीस नि0 ग्राम सैंथली थाना मुरादनगर गा0बाद को आज दिनांक 26.05.2021 को सरना चौपला से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता</u>

आमिर पुत्र नफीस नि0 ग्राम सैंथली थाना मुरादनगर गा0बाद

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण</u>

मु0अ0सं0 432/21 धारा 376 भादवि, 3/4 पोक्सो अधि0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट

<u>थाना मुरादनगर क्षेत्र के गांव रावली में हुई हत्या की घटना का खुलासा, अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल फांवडा बरामद।</u>

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनाँक 01.05.2021 को रावली क्षेत्र में नगेन्द्र कुमार की फांवडे से काटकर हत्या कर दी गई थी जिसके सम्बंध में वादी श्री संजीव कुमार उर्फ संजू पुत्र स्व0 नगेन्द्र सिंह नि0 गाव रावली कला थाना मुरादनगर गा0बाद द्वारा अपने पिता श्री नगेन्द्र सिंह की हत्या हो जाने के सम्बन्ध में सूचना/लिखित तहरीर दी थी। सूचना/लिखित तहरीर पर थाना मुरादनगर पर मु0अ0स0 320/21 धारा 302 भादवि तत्काल पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही- श्रीमान उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर को टीमे गठित कर तत्काल घटना के अनावरण व आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु कडे निर्देश जारी किये थे। इसी क्रम मे गठित टीमो द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मैनुअल इंटेलिजेंस, बयान व पूछताछ, भौतिक व परिस्थित जन्य साक्ष्य ,अन्य संकलित किये गये साक्ष्यो के आधार पर उक्त घटना का अनावरण करते हुए घटना को कारित करने वाले युवक उम्र 23 वर्ष को आज दिनांक 26.05.2021 को गांव रावली से गिरफ्तार किया। युवक की निशांदेही पर आलाकत्ल फांवडा बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक से घटना के बारे मे गहनता से पूछताछ कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

पूछताछ में युवक द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.04.2021 की रात्रि को मैं अपने खेतो की तरफ गया था, गांव के नगेन्द्र सिंह के भी खेत मेरे खेत के पास ही हैं वह अपनी ईख में पानी लगा रहा था वहां पर मृतक ने मुझे आवाज देकर बुलाया कि मेरी नाली ठीक कर दे नाली ठीक करने के बाद हम दोनो ने वहां बैठकर शराब पी जब मुझे बहुत ज्यादा नशा हो गया तो मैं वही उसके बराबर वाले खेत में सो गया रात्रि में करीब 01.00 बजे मृतक नगेन्द्र मेरे पास गया तथा मुझे अपने खेत में उठाकर ले आया वहां पर उसने अपने कपडे उतार दिये तथा मेरे साथ अप्राकृतिक लैंगिक सम्बंध बनाने की कोशिश करने लगा तथा जबरदस्ती मेरी पेंट भी उतारने लगा मैने काफी विरोध किया पहले मैने उसको कोहनी मारी जब भी वह नही माना तो मैने वहीं पास में पडे फांवडे से उसके सिर पर 3-4 वार किये तथा मौके से भाग गया तथा फांवडे को मैने मन्दिर के पास तालाब में फैंक दिया था। मृतक नगेन्द्र ने मेरे साथ बचपन में भी गलत काम किया था, जिसे मैने अपने पिताजी को भी बताया था मेरे पिताजी ने इसे बहुत डांटा था।

<u>बरामदगी</u>

1. एक फांवडा आला कत्ल

<u>साइबर सैल गाजियाबाद एंव थाना-कविनगर पुलिस द्वारा फर्जी आईडी पर सिम खरीदकर तथा बैंक खाता खुलवाकर स्वंय को बड़ी मेडिकल SSG FARM का मैनेजर बताकर कोविड-19 से बीमार व्यक्तियो के परिजनो से इंजेक्शन उपलब्ध कराने के नाम पर अपने फर्जी अकाउन्टो में पैसे डलवा कर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार</u>

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन 420 के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम, श्रीमान क्षेत्राधिकारी साइबर सैल के कुशल निर्देशन में साइबर सैल व कविनगर पुलिस द्वारा दिनांक 26/05/2021 को 02 शातिर अभियुक्तगणो को समय 16.50 बजे अंसल मार्केट के पास टी प्वाइट से चिंरजीव विहार की ओर से गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 844/2021 धारा 406/420/34 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अपराध कारित करने का तरीखाः</u>- अभियुक्तगणो द्वारा अपने फरार साथियो के साथ मिलकर फर्जी आईडी पर सिम खरीदकर तथा बैंक खाता खुलवाकर स्वयं को बड़ी मेडिकल SSG FARM का मैनेजर बताकर कोविड 19 बीमार व्यक्तियो के परिजनो से इंजेक्शन उपलब्ध कराने के नाम पर अपने फर्जी अकाउन्टो में पैसे डलवा कर ठगी करते है।

<u>नाम पर गिरफ्तारी अभियुक्तगण का विवरणः-</u>

1- सुमित पुत्र ब्रहमसिंह पता नेहरू गार्डन नियर पोस्ट ऑफिस खोड़ा गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष शिक्षा 12वी पास ।

2- शिवम पुत्र रामकिशोर पता वन्दना एन्कलेव खोड़ा नियर धर्मपाल चक्की गाजियाबाद मूल पता गांव बिहार फरूखावाद उत्तर प्रदेश उम्र 20 वर्ष शिक्षा 12वी पास ।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

(1) एक अदद मोबाइल फोन,

(2) 03 अदद एटीएम कार्ड,

(3) 74 हजार रूपये नकद,

<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-</u>

(1) मु0अ0सं0 844/2021 धारा 406/420/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।

अभियुक्त गण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।